ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 201-204**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

बौद्ध दर्शन में स्त्री शिक्षा : एक अवलोकन

डॉ० कृष्ण मुरारी सिंह
सहायक आचार्य– दर्शनशास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्विद्यालय अमरकंटक, (म0प्र0) भारत

Received-16.03.2025, Revised-22.03.2025 Accepted-30.03.2025 **E-mail : aaryvart2013@gmail.com**

सारांशः ***वैदिक काल खंड में धर्म मानव जीवन का आधार था। मानव का प्रत्येक कार्य धर्म आधारित था। यहाँ तक की मानव के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में भी धर्म की प्रधानता थी। अर्थ, काम और मोक्ष,+ धर्म से निर्देशित और नियंत्रित होता था। उस काल तक धर्म सरल और सहज था। कालांतर में इसमें अनेक कर्मकांड और रूढ़ियाँ व्याप्त होती गयीं और इसका स्वरूप जटिल होता गया। इसमें अनेक निषेध आते गए। इसकी जटिलताओं और वर्जनाओं ने इसे विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। जनमानस वास्तविक धर्म को भुलाने लगा। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अतिशय सुदृढ़ थी। उन्हें धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने वेद विद्या, शिक्षा ग्रहण करने तथा सभा और समिति में सम्मिलित होने का पूर्ण अधिकार था। कालांतर में उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी और उन पर अनेक वर्जनाएं एवं निषेध स्थापित कर दी गयीं, और उन्हें शिक्षा तथा धर्म से वंचित कर दिया गया। ऐसे में बौद्ध धर्म का उदय महिलाओं के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन था। बौद्ध धर्म पहला धर्म था, जिसने महिलाओं को संघ में प्रवेश का मार्ग खोलकर उनका धार्मिक मार्ग प्रशस्त किया। बुद्ध द्वारा महिलाओं को संघ में प्रवेश का मार्ग महिलाओं की समानता का मार्ग खोला दिया। बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा और उनकी समानता पर गहनता से विचार किया। शिक्षा की प्रकृति और प्रवृति में व्यापक परिवर्तन किया गया। महिला शिक्षा का द्वार खोल दिया गया। यद्यपि की बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के पक्ष में नहीं थे, किन्तु अपने प्रिय शिष्य और बुआ के लडके आनन्द के कहने पर उन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिए। थेरीगाथा की कवयित्रियों में 32 आजीवन ब्रम्हचारिणी, और 18 विवाहित भिक्षुणी थीं।***

कुंजीभूत शब्द– बौद्ध दर्शन, स्त्री शिक्षा, मानव जीवन, कर्मकांड और रूढ़ियाँ, वर्जना, युगांतकारी परिवर्तन, बुद्ध संघ

शोधपत्र का उद्देश्य– प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, तथा यह निम्नलिखित उद्देश्यों को समाहित करता है:

1. बौद्ध दर्शन के उन सिद्धांतों का विश्लेषण करना जो महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं तथा आधुनिक सन्दर्भ में उनके प्रभावों को समझना।
2. बौद्ध दर्शन में निहित ऐसे मूल सिद्धांतों की पहचान करना, जो लैंगिक समानता और महिला शिक्षा का समर्थन करते हैं।
3. गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षुणी संघ और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से यह समझना कि प्राचीन बौद्ध परंपराओं में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी रही है।
4. बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तुलना वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से करना और यह समझना कि उसमें महिलाओं के लिए कौन से मूल्य आज भी प्रेरणास्रोत हो सकते हैं।
5. समाज में लैंगिक समानता और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध दर्शन से कौन–कौन सी शिक्षाएँ व्यवहार में लाई जा सकती हैं, इसका प्रस्ताव करना।

प्राचीन भारत में महिला शिक्षा की स्थिति– प्राचीन भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति सकारात्मक रही है। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। इन महिलाओं ने न केवल वेद विद्या का अध्ययन किया, बल्कि दर्शन और तर्कशास्त्र में भी महान योगदान दिया। मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषियों ने ब्रह्मज्ञान और दर्शन पर गहन चिंतन मनन और चर्चा की, जो उस समय की महिला शिक्षा के उच्च स्तर को दर्शाता है। वैदिक युग में लड़कियों को श्उपनयनश संस्कार (शिक्षा का आरंभिक संस्कार) कराकर गुरुकुलों में भेजा जाता था, जहां वे वेद, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयों का अध्ययन करती थीं। स्त्रियों को शिक्षा का उद्देश्य केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से भी सक्षम बनाया जाता था।[1]

कालान्तर में महिलाओं की शिक्षा और उसकी सामाजिक स्थिति में नकारात्मक परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल के पश्चात, विशेष रूप से स्मृति काल और मध्यकालीन युग में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सामाजिक संरचना में बदलाव, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मज़बूती, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अन्य कुरीतियों ने महिलाओं की शिक्षा को सीमित कर दिया। धीरे–धीरे उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाने लगा, और उनका स्थान घरेलू कार्यों तक सीमित हो गया।[2] कुछ अपवाद स्वरूप राजघरानों और समृद्ध परिवारों की महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करती थीं, परंतु साधारण परिवार की महिलाओं के लिए यह अवसर दुर्लभ होता गया। इस प्रकार प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा का आरंभिक स्वरूप गौरवशाली था, किंतु समय के साथ सामाजिक परिवर्तनों के कारण उसमें गिरावट आती गई।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के अध्ययन का महत्व–बौद्ध दर्शन का अध्ययन महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शन मूल रूप से समानता, करुणा और आत्मनिर्भरता जैसे सिद्धांतों पर आधारित है, जो महिला सशक्तिकरण की बुनियादी अवधारणाओं से मेल खाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने समाज में व्याप्त जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारते हुए महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता और ज्ञान प्राप्ति का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम था। इसने महिलाओं को धार्मिक, बौद्धिक और नैतिक विकास का अवसर दिया और उन्हें सामाजिक रूप से एक नई पहचान दी। बौद्ध दर्शन यह भी सिखाता है कि मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पुरुष और महिला दोनों में समान रूप से है। यह विचार महिलाओं को आत्म–गौरव, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। बौद्ध ग्रंथों में महापजापति गौतमी, कुंडला केशा, विशाखा, अंबपाली जैसी अनेक महिलाओं का उल्लेख है, जिन्होंने समाज में सक्रिय भूमिका निभाई और बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने में योगदान दिया।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

बौद्ध दर्शन की करुणा और मध्यम मार्ग की अवधारणाएं आज भी महिलाओं के मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण में मार्गदर्शक बन सकती हैं। यह दर्शन महिलाओं को भीतर से मजबूत बनाने पर बल देता है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों और सामाजिक बाधाओं का सामना करने में सक्षम बनें। इस प्रकार, बौद्ध दर्शन का अध्ययन न केवल इतिहास में महिलाओं की भूमिका को समझने में सहायक है, बल्कि यह वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

बौद्ध धर्म के आधारः समानता, करुणा और ज्ञान की खोज– बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों में समानता, करुणा, और ज्ञान की खोज को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे आधुनिक मुद्दों के समाधान के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

समानता : बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर महान या हीन नहीं होता। बौद्ध संघ में सभी को दृ चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या लिंग के हों, समान रूप से शिक्षा और साधना का अधिकार था। यह समभाव की भावना बौद्ध धर्म को एक अत्यंत समावेशी दर्शन बनाती है, जो आज के समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करती है।

करुणाः बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्तंभ करुणा है। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा और सहानुभूति रखने का उपदेश दिया। करुणा केवल भावनात्मक सहानुभूति नहीं, बल्कि यह सामाजिक कार्यों और सेवा के रूप में प्रकट होती है। यह सिद्धांत विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्ग वाले समुदायों के प्रति संवेदनशीलता और सहायक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

गौतम बुद्ध की समावेशिता और सार्वभौमिक बोधि पर आधारित शिक्षाएँ– गौतम बुद्ध का दर्शन समावेशिता (प्दबसनेपअपजल) और सभी प्राणियों के लिए बोधि (म्दसपहीजमदउमदज) की संभावना को स्वीकार करने वाला एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने अपने समय की सामाजिक–धार्मिक सीमाओं को तोड़ते हुए यह घोषणा की कि मुक्ति पर किसी एक जाति, वर्ग, लिंग या संप्रदाय का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति कृ चाहे वह राजा हो या भिक्षुक, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र; आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है।[3]

समावेशिता की भावनाः बुद्ध ने जातिवाद, लिंगभेद और ऊँच–नीच की भावना का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा–'न जात्या ब्राह्मणो होति, न जात्या होति अब्राह्मणो, कर्मेण ब्राह्मणो होति, कर्मेण होति अब्राह्मणो।'[4] अर्थात कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या अ–ब्राह्मण नहीं होता, उसके कर्म ही उसे ब्राह्मण या अ–ब्राह्मण बनाते हैं। इस विचार ने समाज में गहरी समता और न्याय की नींव रखी, जहाँ सभी को धर्म, शिक्षा और मुक्ति का समान अधिकार मिला।

महिलाओं के प्रति समावेशी दृष्टिकोण– आरंभ में बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना को लेकर संषय में थे, किन्तु महाप्रजापती गौतमी के आग्रह और आनंद (बुद्ध के प्रिय षिश्य) के अनुरोध पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ में स्थान दिया।5 उन्होंने महिलाओं को भी आत्मज्ञान के लिए सक्षम माना और अनेक भिक्षुणियों ने उस काल में उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। यह कदम उस युग में महिलाओं की स्वतंत्रता और षिक्षा के अधिकार की दिषा में क्रांतिकारी पहल था।

बुद्ध के समय में महिलाओं की स्थिति–गौतम बुद्ध के समय (लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व) में भारतीय समाज गहराई से पितृसत्तात्मक संरचना में बंधा हुआ था। महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से प्रायः वंचित रखा जाता था। वे मुख्यतः घरेलू भूमिकाओं तक सीमित थीं और उनका जीवन पुरुषोंकृपिता, पति या पुत्रकृपर निर्भर माना जाता था।

1. सामाजिक स्थितिः उस काल में प्रायरू महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था, और वे स्वतंत्र रूप से शिक्षा, वैचारिक विमर्श या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती थीं। विवाह को ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य माना जाता था, और विधवा होने पर उनका जीवन और भी अधिक संकुचित हो जाता था। उन पर इतने अधिक सामाजिक दुराग्रह थोप दिए जाते थे कि उनका जीवन कठिन हो जाता था।

2. धार्मिक स्थितिः वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ स्त्रियाँ विदुषी एवं ऋषिकाओं के रूप में वर्णित हैं, परन्तु बुद्ध के काल तक धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित हो चुकी थी। वे यज्ञ, उपदेश, ब्रह्मचर्य या सन्यास जैसे धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित थीं।[6]

3. शैक्षिक स्थितिः महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ था। समाज में यह धारणा थी कि स्त्री को धर्मग्रंथ पढ़ने या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। गौतम बुद्ध ने इस स्थिति को चुनौती दी। उन्होंने स्त्रियों की आध्यात्मिक क्षमता को पुरुषों के समान माना और उन्हें भी निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम बताया। महाप्रजापती गौतमी की पहल पर उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जिससे स्त्रियों को भी संघ जीवन, अध्ययन, साधना और आत्मज्ञान की स्वतंत्रता मिली। गौतम बुद्ध के प्रयासों ने उन्हें धार्मिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नई पहचान दी। यह परिवर्तन उस युग में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था, जो आगे चलकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणास्रोत बना।

भिक्षुणी संघ की स्थापना– गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना बौद्ध धर्म के इतिहास में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के धार्मिक और सामाजिक इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। यह वह समय था जब महिलाओं को धार्मिक साधना, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी से प्रायः वंचित रखा जाता था, और उनका जीवन पूर्णतः पुरुषों पर आधारित माना जाता था। ऐसे समय में बुद्ध का यह निर्णय महिलाओं के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना के साथ महिलाओं को भी संघ जीवन, शील पालन, ध्यान, प्रवचन, और अध्ययन का पूर्ण अधिकार मिला। यह उस युग में एक असाधारण परिवर्तन था, जब धार्मिक जीवन केवल पुरुषों का अधिकार माना जाता था।

प्रभाव और उपलब्धियाँ– भिक्षुणी संघ की स्थापना के बाद कई महिलाएँ बौद्ध संघ में शामिल हुईं और उन्होंने आध्यात्मिक साधना के उच्चतम स्तर प्राप्त किए। थेरिगाथा जैसे ग्रंथ भिक्षुणियों की आत्मकथाओं, अनुभवों और काव्यात्मक अभिव्यक्तियों का संग्रह हैं, जो यह दर्शाते हैं कि महिलाएँ न केवल संघ जीवन में सक्रिय रहीं, बल्कि उन्होंने बौद्ध साहित्य और दर्शन को भी समृद्ध किया।7 भिक्षुणी संघ की स्थापना केवल धार्मिक अधिकार देने का कार्य नहीं था, बल्कि यह महिलाओं को बौद्धिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान, और आत्मिक उत्थान का अवसर प्रदान करने वाला साहसी और क्रांतिकारी निर्णय था। यह कदम आज भी महिला सशक्तिकरण, समावेशिता, और समानता की दिशा में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

निर्वाण की प्राप्ति में स्त्री और पुरुष की समानता–बौद्ध दर्शन का एक अत्यंत क्रांतिकारी और प्रगतिशील पक्ष यह है कि यह स्त्री और पुरुष दोनों को निर्वाण (बोधि या आत्मज्ञान) प्राप्त करने में पूर्णतः समान मानता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों और संघ की व्यवस्था के माध्यम से स्पष्ट किया कि मोक्ष, केवल किसी विशेष लिंग, जाति या वर्ग की बपौती नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो आचरण, साधना और प्रज्ञा के मार्ग पर चलता है। बुद्ध ने स्वयं कहा थारू ष्योऽहं वासि सोऽहमस्मिष् दृ ष्जैसा पुरुष, वैसी स्त्री भी हो सकती है"।[8] उनके अनुसार स्त्रियाँ भी धर्म का पालन कर, ध्यान, संयम और प्रज्ञा के माध्यम से आरहत (निर्वाण प्राप्त व्यक्ति) बन सकती हैं।

3. भिक्षुणियों का उदाहरण: भिक्षुणी संघ की अनेक महिलाएँकृमहाप्रजापती गौतमी, खेमा, उप्पलवण्णा, संगमित्तता आदि ने निर्वाण की प्राप्ति की। उनकी साधना और उपलब्धियाँ इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि बौद्ध संघ में पुरुषों के साथ–साथ स्त्रियाँ भी ज्ञान, ध्यान और मुक्ति की समान अधिकारी थीं।9

4. थेरिगाथा स्त्रियों की आत्मगाथाएँ : बौद्ध साहित्य में थेरिगाथा जैसे ग्रंथ भिक्षुणियों की आत्मानुभूतियों, संघर्षों और मोक्ष की कहानियों का संकलन हैं। यह ग्रंथ यह प्रमाणित करता है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी आध्यात्मिक अनुभव और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता थी।

5. सामाजिक संदेश : बुद्ध का यह दृष्टिकोण उस काल के लिए विशेष रूप से क्रांतिकारी था, जब स्त्रियों को धार्मिक कर्मकांडों से दूर रखा जाता था। बौद्ध धर्म ने पहली बार स्त्रियों को न केवल धार्मिक रूप से स्वीकार किया, बल्कि उन्हें मोक्ष के मार्ग पर समान रूप से सक्षम और समर्थ माना। बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष के बीच कोई आध्यात्मिक असमानता नहीं है। दोनों के लिए मुक्ति के द्वार समान रूप से खुले हैं।10 यह समभाव की भावना आज के युग में भी प्रासंगिक है, जब हम लिंग समानता की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का यह दृष्टिकोण मानवता के लिए एक सार्वभौमिक और उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ व्यक्ति का आचरण, विचार और साधना ही उसकी मुक्ति का मापदंड होते हैं, लिंग नहीं।

आधुनिक समाज में महिला शिक्षा के प्रचार में बौद्ध सिद्धांतों की प्रासंगिकता– गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत न केवल प्राचीन काल में सामाजिक सुधार का माध्यम बने, बल्कि आज के आधुनिक समाज में भी उनकी विचारधारा विशेष रूप से महिला शिक्षा के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाकृजैसे करुणा (ब्वउचेंपवद), समता (म्संसपजल), प्रज्ञा (ॅपेकवउ) और आत्मकल्याणकृ वर्तमान समय में भी स्त्रियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करती है।11

1. समता का सिद्धांतः बौद्ध धर्म का मूलभूत सिद्धांत है कि सभी जीव समभाव से देखने योग्य हैं। बुद्ध ने लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। यह विचार आज की लैंगिक समानता आधारित शिक्षा प्रणाली की नींव से मेल खाता है, जहाँ हर स्त्री को बिना भेदभाव के शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए।

2. प्रज्ञा (बुद्धिमत्ता) को सर्वोच्च स्थानः बुद्ध के अनुसार मोक्ष का मार्ग प्रज्ञा से होकर जाता है। उन्होंने स्त्रियों को भी प्रज्ञा की साधना में समान रूप से योग्य माना। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान ही सच्चा अधिकार है, न कि लिंग। यह विचार आज के समय में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है।

3. करुणा और समाज–कल्याण की भावनाः बुद्ध ने "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण सम्मिलित है। स्त्रियों की शिक्षा केवल उनके व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के समग्र उत्थान का भी आधार है। करुणा की भावना महिला शिक्षा के माध्यम से पूरे परिवार और समाज की भलाई की ओर संकेत करती है।

4. भिक्षुणी संघ और ऐतिहासिक उदाहरणः भिक्षुणी संघ की स्थापना और उसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि बौद्ध परंपरा ने महिला शिक्षा और साधना को हमेशा महत्व दिया। थेरिगाथा जैसी रचनाएँ यह सिद्ध करती हैं कि जब स्त्रियों को शिक्षा और आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिलती है, तो वे समाज में परिवर्तन की अग्रदूत बन सकती हैं। यह दृष्टिकोण आज भी महिलाओं को शिक्षित कर नेतृत्व की ओर प्रेरित करता है।

5. आधुनिक चुनौतियों के समाधानः आज भी समाज में अनेक क्षेत्रों में स्त्रियाँ शिक्षा से वंचित हैं। बौद्ध विचारधारा हमें यह सिखाती है कि किसी भी लिंग, जाति या वर्ग के आधार पर शिक्षा का अधिकार सीमित करना अधार्मिक और अन्यायपूर्ण है। यह सोच न केवल नैतिक रूप से, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को समर्थन देती है। बौद्ध सिद्धांत आज के युग में महिला शिक्षा की वकालत करने के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति की योग्यता, विचारशीलता, करुणा और समता पर आधारित हैं, न कि बाह्य पहचान पर। इसलिए, आधुनिक समाज में यदि महिला शिक्षा को सशक्त और व्यापक बनाना है, तो बौद्ध विचारधारा से प्रेरणा लेना अत्यंत सार्थक और प्रभावशाली हो सकता है।

बौद्ध मूल्यों से प्रेरित समकालीन प्रयासों के उदाहरण–आज के समय में बौद्ध मूल्यों से प्रेरित होकर अनेक संगठनों, व्यक्तियों और आंदोलनों ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उदाहरणस्वरूप, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे बौद्ध बहुल देशों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मठ आधारित विद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जहाँ भिक्षुणियाँ शिक्षिका और मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं। दक्षिण कोरिया में जोग्ये ऑर्डर जैसे बौद्ध संगठनों ने महिला भिक्षुणियों के लिए विशेष विश्वविद्यालय और ध्यान केंद्र खोले हैं, जहाँ वे धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक विषयों का अध्ययन भी करती हैं। इसी प्रकार तिब्बती बौद्ध धर्म में हिस होलिनेस दलाई लामा ने बार–बार यह बात कही है कि महिलाएँ करुणा की स्वाभाविक संवाहक होती हैं और उन्हें शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

भारत में भी बौद्ध प्रेरणा से कार्य करने वाले संगठनों जैसे भगवान बुद्ध एजुकेशन सोसायटी या डॉ. अम्बेडकर मिशन ने समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास और कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। इन सभी प्रयासों की मूल प्रेरणा बौद्ध धर्म के वे मूल्य हैं जो समता, शिक्षा, करुणा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हैं। इन आधुनिक प्रयासों में बौद्ध दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि गौतम बुद्ध के विचार आज भी सामाजिक बदलाव और विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

लैंगिक असमानता का समाधान– बौद्ध दर्शन, जिसकी नींव करुणा (compassion), समता (equality), और प्रज्ञा (wisdom) पर टिकी है, लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है। यह दर्शन बाह्य भेदभावोंकृजैसे लिंग, जाति, वर्गकृको निरर्थक मानकर व्यक्ति की आंतरिक योग्यता, विचारशीलता और साधना को प्राथमिकता देता है। इस दृष्टिकोण से लैंगिक असमानता को न केवल सामाजिक, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी खंडित किया जा

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

सकता है। शिक्षा और प्रज्ञा की सार्वभौमिकता बुद्ध ने शिक्षा और प्रज्ञा को मोक्ष का मुख्य साधन माना, जो किसी विशेष लिंग के लिए सीमित नहीं था। यह विचार आधुनिक संदर्भ में महिला शिक्षा को सिर्फ एक सामाजिक अधिकार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम मानने की प्रेरणा देता है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा–

शिक्षा में लैंगिक समानता को साकार करने में वर्तमान बाधाएँ: वर्तमान समय में, भले ही महिला शिक्षा को लेकर कई योजनाएँ और कानून बनाए गए हों, लेकिन वास्तविकता में कई चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं–

- **सांस्कृतिक पूर्वाग्रह:** कई समुदायों में अब भी यह धारणा है कि लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता लड़कों से कम है।
- **आर्थिक असमानता:** गरीब परिवारों में लड़कियों को स्कूल से निकालकर घरेलू कार्य या विवाह की ओर धकेल दिया जाता है।
- **सुरक्षा की चिंता:** स्कूल तक पहुँच, यौन उत्पीड़न का भय, और सुरक्षित वातावरण का अभाव भी माता–पिता को बेटियों की शिक्षा से हतोत्साहित करता है।
- **शैक्षिक पाठ्यक्रम में लैंगिक दृष्टिकोण की कमी:** शिक्षा की सामग्री और शिक्षण प्रणाली में अभी भी पुरुष प्रधानता की झलक मिलती है, जिससे स्त्रियों की भूमिका सीमित रूप में दर्शाई जाती है।

2. शैक्षिक नीतियों में बौद्ध शिक्षाओं को सम्मिलित करने के सुझाव: बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतकृकरुणा, समता, प्रज्ञा और अहिंसाकृको शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिंग समानता को अधिक गहराई से स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए

- नीतियों में 'समता' को केंद्रीय मूल्य बनाया जाए, जो जाति, वर्ग और लिंग के परे जाकर प्रत्येक छात्र को बराबरी का अवसर दे।
- बौद्ध विचारों पर आधारित नैतिक शिक्षा को विद्यालय स्तर पर लागू किया जाए, जिसमें विद्यार्थियों को करुणा, सह–अस्तित्व और समभाव सिखाया जाए।
- स्त्री शिक्षा को आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान से जोड़ा जाए, न कि केवल व्यावसायिक दक्षता तक सीमित रखा जाए।
- महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित पाठ्यक्रम और प्रेरणादायक उदाहरणकृजैसे महापजापती गौतमी, खेमा आदिकृको शैक्षिक सामग्री में शामिल किया जाए।

3. महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर वैश्विक संवाद को प्रोत्साहित करना:

- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बौद्ध दृष्टिकोण से स्त्री शिक्षा पर विमर्श आरंभ किया जाना चाहिए, जिससे यह बताया जा सके कि एशियाई परंपराओं में भी समानता की गहरी जड़ें रही हैं।
- विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में ष्बौद्ध दर्शन और लैंगिक न्यायष जैसे अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जा सकती है।
- यूनेस्को, यूनेफ, और अन्य वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग कर शिक्षा में लिंग समानता को धार्मिक और सांस्कृतिक आधारों से जोड़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
- भिक्षुणी नेतृत्व और अनुभवों पर आधारित वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन करके यह दर्शाया जा सकता है कि बौद्ध परंपरा में महिलाएं किस प्रकार ज्ञान और नेतृत्व में अग्रणी रही हैं।

आज की दुनिया को केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि नैतिक और वैचारिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है। बौद्ध शिक्षाएँ इस दिशा में एक सशक्त साधन बन सकती हैं, जो शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को न केवल ज्ञान, बल्कि गरिमा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की ओर अग्रसर कर सकती हैं।

निष्कर्ष– बौद्ध दर्शन केवल एक आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। बौद्ध सिद्धांतकृविशेषकर समता (मुनंसपजल), प्रज्ञा (पेकवउ) और करुणा (बवउचेंपवद)कृने नारी शिक्षा को न केवल मान्यता दी, बल्कि उसे मुक्ति के मार्ग का एक अनिवार्य अंग माना। इतिहास में भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षुणियों की अनुपम उपलब्धियाँ और बुद्ध द्वारा दिया गया यह संदेश कि स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान ही निर्वाण की अधिकारी हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि बौद्ध दर्शन लिंग समानता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। वर्तमान समय में, जब महिला शिक्षा को लेकर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियाँ सामने हैं, तब बौद्ध दर्शन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा किसी भी लिंग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि मानवता का सार्वभौमिक अधिकार है। इसके सिद्धांत हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर ले जाते हैं, जो न्यायसंगत, समावेशी और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो।

इस प्रकार, गौतम बुद्ध की शिक्षाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी प्राचीन काल में थीं। यदि इन्हें समकालीन शिक्षा नीतियों और सामाजिक दृष्टिकोण में समाहित किया जाए, तो हम एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं जो अधिक शिक्षित, संवेदनशील और समतामूलक हो। बौद्ध दर्शन, केवल आध्यात्मिक मोक्ष ही नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है, विशेषकर महिलाओं के लिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. 1 कुमारी, मीरा (2019), प्राचीन भारत में नारी शिक्षा, दिल्ली स्पेश पब्लिशिंग हाउस. पृ. 87.
2. 2 माधव, नीरजा (2023), भारतीय स्त्री विमर्श, दिल्ली सामायिक प्रकाशन. पृ. 65.
3. मौर्य, श्यामवृक्ष (2018), बौद्ध धर्म एवं दलित चेतना, दिल्ली सत्यम प्रकाशन. पृ. 76.
4. उपाध्याय, भारत सिंह (2008), बौद्ध दर्शन एवं एनी भारतीय धर्म, वाराणसी मोतीलाल बनारसी दास, पृ. 360
5. वही. पृ. 378.
6. सुमन, मंजु (2016), दालित महिलायें, दिल्ली, सम्यक प्रकाशन. पृ. 123.
7. वही पृ. 145.
8. धम्म–चक पवतन सुत्त (संयुक्त निकाय) 14.3.
9. अम्बेडकर, भीमराव, (2016), बुद्ध और उनका धम्म, दिल्लीरू बुद्धं पब्लिकेशन. पृ. 185
10. अम्बेडकर, वही. पृ.190.
11. उपाध्याय, जगन्नाथ, (2009),भारतीय संस्कृति को बौद्ध देन, दिल्ली, सम्यक प्रकाशन. पृ. 301.

*****